४४

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या : 368 /XVII-1/2012-61(स.क.)/2002

प्रेषक,

सी.एम.एस. बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, दिनांक 30 मार्च 2012.

विषय :स्वैच्छिक संस्था नेहरू शिल्प प्राईमरी एवं जूनियर हाईस्कूल, रूड़की–कैण्ट, जनपद–हरिद्वार द्वारा संचालित नेहरू जूनियर हाईस्कूल एवं शिल्पकला विद्यालय, रूड़की–कैण्ट, हरिद्वार के अध्यापकों के वर्ष 2011–12 के वेतन–भत्तों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–242/XVII-1/2011-61(स.क.)/2002, दिनांक 25.03.2011 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आपके पत्रांक–3666/स.क./स्वै.सं.–अनु.प्र./2011–12, दिनांक 23.01.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वैच्छिक संस्था नेहरू शिल्प प्राईमरी एवं जूनियर हाईस्कूल, रूड़की–कैण्ट, जनपद–हरिद्वार द्वारा संचालित नेहरू जूनियर हाईस्कूल एवं शिल्पकला विद्यालय, रूड़की–कैण्ट, हरिद्वार में कार्यरत अध्यापकों के वर्ष 2011–12 के वेतन–भत्तों के भुगतान हेतु ₹1,000 संगत मद से तथा ₹11.29 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए उक्त के सापेक्ष ₹11,29,212 (रूपये ग्यारह लाख उनतीस हजार दो सौ बारह मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. उक्त धनराशि का भुगतान किए जाने से पूर्व संस्था द्वारा दिए गए वेतन विवरण के संगत नियमों के आलोक में नियमानुसार एवं वास्तविक होने की पुष्टि कर ली जाए।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि संस्था को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व निर्धारित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जाएगी तथा व्यय के उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

3. चालीस विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है तथा विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जाति के होने चाहिए। इसी के दृष्टिगत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों के अनुपात में ही अध्यापकों के वेतनादि का भुगतान किया जाएगा।

4. यदि संस्था उक्त शर्तें पूरी नहीं करती है तो वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा और धनराशि राजकीय कोष में जमा कर दी जाएगी।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–30" के 'आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–91–जिला योजना–02–पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार" की मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न प्रारूप बी.एम.–15 के पुनर्विनियोजन कॉलम–5 की बचतों से वहन किया जाएगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–463(P)/XXVII-3/2011-12, दिनांक 30.03.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : बी.एम.–15.

भवदीय,

(सी.एम.एस. बिष्ट)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–369(1)/XVII-1/2012-61(स.क.)/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
6. प्रबन्धक, नेहरू शिल्प प्राईमरी एवं जूनियर हाईस्कूल, रूड़की–कैण्ट, जनपद–हरिद्वार।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

संलग्नक : बी.एम.–15.

आज्ञा से,

(एस.एस. बल्दिया)
उप सचिव।

बी.एम.–15 (पैरा–156)

वित्तीय वर्ष 2011–12.
प्रशासनिक विभाग–समाज कल्याण,
अनुदान संख्या–30

नियन्त्रक अधिकारी – प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

आयोजनागत पक्ष :

(धनराशि हजार रुपये में)

बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण		मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि स्थानान्तरित की जानी है		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
01		02	03	04	05		06	07	08
अनुदान संख्या–30, "आयोजनागत" 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम 800–अन्य व्यय 04–आदिम जनजाति आदि हेतु जनश्री योजना के अधीन बीमा कम्पनी को प्रीमियम 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	12100	4896	—	7204	अनुदान संख्या–30, "आयोजनागत" 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 277–शिक्षा 91–जिला योजना 02–पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1129	1130	10971	नेहरू जूनियर हाईस्कूल एवं शिल्पकला विद्यालय, रूड़की–कैण्ट, हरिद्वार के कार्मिक/अध्यापकों के वेतन–भत्तों के भुगतान हेतु धनराशि की आवश्यकता है।
योग	12100	4896	—	7204	योग	1129	1130	10971	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

/
(सी.एम.एस. बिष्ट)
अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड शासन,
वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03,
संख्या : 463(P)/XXVII-3/2011-12,
देहरादून, दिनांक 30 मार्च 2012.

सेवा में,
✓ **महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पुनर्विनियोग स्वीकृत,
(रमेश चन्द्र अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

पृष्ठांकन संख्या–368(2)/XVII-1/2012-61(स.क.)/2002, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
3. ~~निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।~~
4. मुख्य कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,
/
(एस.एस. वल्दिया)
प्रमुख सचिव।